



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

MAHARAJA SUHAIL DEV STATE UNIVERSITY AZAMGARH

AZAMGARH

दिनांक: 25/03/2023

सन्दर्भ संख्या: /संव/अनापत्ति/ 70/2023

अनापत्ति पत्र- प्रस्तावित महाविद्यालय

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक: 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक: 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टीसी, दिनांक: 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या:-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टीसी-11 दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक: 25/03/2023 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी Kanli Sewa Sansthan द्वारा प्रस्तावित Pt Kanhaiya Lal Mishra Vidhi Mahavidalya को UG स्तर पर

| Course Name        | Subject Name |
|--------------------|--------------|
| 1 BACHELOR OF LAWS | LAW          |

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक: 09.08.2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी Mau (जिलाधिकारी, Mau के नामित सदस्य) के पत्रांक: 1729-33/जाच- Pt Kanhaiya Lal Mishra Vidhi Mahavidalya / 2023 दिनांक: 06/03/2023 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-

1- पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि का विवरण:

| sr. | Gata/plot no | Area(SQM) | Bhumi Address        |
|-----|--------------|-----------|----------------------|
| 1   | 448          | 2270      | DUMARI MARYADPUR MAU |

पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2- यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, उपजिलाधिकारी, Mau की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक: 06/03/2023 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधित: अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

3- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

4- उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार

- 5- प्रत्येक के संचालन पर पढ़ने वाला समस्त जगह सरस्य द्वारा नद्वन किया जाएगा इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय मा 12
- सरकार से किसी प्रकार सहमता/समझौता की माग नहीं की जाएगी।

6- सरस्य द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रतिक्रिया में गतिविधि में कोई बाड़े नुटे पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरस्य का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

7- शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर सरस्य द्वारा परस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाधन (क्लीयरेंस) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुयायी शिक्षण सत्र में देय होगी।

8- विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम पारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि पारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते हैं तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होंगे तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
4. प्रबन्धक/सचिव, Pt Kanhaiya Lal Mishra Vidhi Mahavidyalaya
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

कुल सचिव

4  
प्र  
क  
रा  
पूर  
5-  
जि  
अ  
6-2  
सुनि  
7-2



ऑनलाइन एमओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

MAHARAJA SUHAIL DEV STATE UNIVERSITY AZAMGARH

AZAMGARH

सन्दर्भ संख्या: /सं/523/2023

दिनांक: 13/06/2023

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यद्यपि संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति एवं कार्यपरिपत्र की अनुमति (दिनांक: 13/06/2023) से Pt Kanhaiya Lal Mishra Vidya Mahavidyalaya को UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

1 BACHELOR OF LAWS (2023-2024)

LAW

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2023 से आगामी 03 वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित संसूक्त कर्मियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 "The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सन्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संसूति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कर्मियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कर्मियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से सख्त कारते हुए अनिवार्य रूप से मातृनीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिलिपि पेशित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।

5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6- संस्था द्वारा प्रदेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/आदेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा

संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार पवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-21650/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऊंशा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित करता हुए नियुक्ति, अनुदेश आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जाएगा।

  
कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-...., उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Mau मण्डल।
4. प्रबन्धक, Pt Kanhaiya Lal Mishra Vaidhi Mahavidalya को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, Maharaja Suhail Dev State University Azamgarh, Mau
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

  
कुल सचिव